


कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, कासगंज।

विज्ञापित संख्या 674 /व्यवस्थापन/2020-21

दिनांक 14.02.2020

विज्ञापित

इस कार्यालय से निर्गत पूर्व विज्ञापित संख्या 646/व्यवस्थापन/2020-21 दिनांक 25.01.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये, वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या 11/2020/155ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 24.01.2020 सपटित शासनादेश 20/2020/476 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 14.02.2020 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-29194/दस-लाइसेंस-367/आबकारी नीति/2020-21 दिनांक 14.02.2020 सपटित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 26442/दस-लाइसेंस-367/आबकारी नीति/2020-21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कासगंज में वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण के प्रथम चरण के पश्चात अवशेष अव्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का द्वितीय चरण के ई-नवीनीकरण प्रक्रिया से व्यवस्थापन दिनांक 16.02.2020 से प्रारम्भ होगा तथा नवीनीकरण के प्रथम चरण के पश्चात अव्यवस्थित दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2020 (पूर्वाह्न 11.00 बजे) से दिनांक 19.02.2020 (सांय 06.00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं।



14/02/2020
जिला आबकारी अधिकारी
कासगंज


14/2
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
कासगंज।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कासगंज।

संख्या /उपरोक्तानुसार/तददिनांक।

प्रतिलिपि - 1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0),कासगंज को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञापित को जनपद की वेबसाइट www.kasganj.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. विज्ञापन प्रबन्धक, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण, जनपद कासगंज को उपरोक्त विज्ञापन अपने सम्मानित समाचार पत्र में शासकीय दर पर (साइज 13 से0मी0 X 13से0मी0 (लगभग) के बाक्स में प्रकाशित कराकर बिल जिला सूचनाधिकारी, कासगंज से सत्यापित कराकर दो प्रतियों में भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


14/02/2020
जिला आबकारी अधिकारी,
कासगंज।